

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप. प्रक. क.-635/2012
संस्थित दिनांक-06.08.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,
जिला-बालाघाट (म0प्र0)

— — — — — अभियोगी

विरुद्ध

मंजुलाल धुपे पिता भादू धुपे, उम्र 72 साल, जाति मरार,
निवासी सोनझरिया टोला मानेगांव थाना बिरसा जिला-बालाघाट (म0प्र0)

— — — — — आरोपी

—:: निर्णय ::—

(दिनांक-27/02/2015 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 325, 506 (भाग-दो) के तहत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक-16.07.2012 को सुबह 07:00 बजे ग्राम पीपरटोला में खेत की मेढ़ थाना बिरसा अन्तर्गत लोकस्थान पर फरियादी लिखीराम राहंगडाले को क्षोभ कारित करने के आशय से माँ-बहन की अश्लील गाली उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं लिखीराम को टंगिया की मुधई से मारकर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की तथा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी लिखीराम राहंगडाले ने दिनांक-16.07.2012 को आरक्षी केन्द्र बिरसा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक-16.07.2012 को 07:00 बजे मेढ़ पर मंजुलाल धुपे टंगिया लेकर खड़ा था बोला कि मादरचोद मेरी मेढ़ से बैल नहीं ले जा सकता तो उसने बोला कि गाली मत दो वर्षों से इसी जगह से आना जाना होता है तो मंजुलाल धुपे ने बोला साले मादरचोद मेरी फसल को बर्बाद करते हो कहकर हाथ में

पकड़े टंगिया की मुधई से बांये हाथ की कलाई एवं बांये तरफ पीठ में कमर के पास मारा और बोला कि मादरचोद ज्यादा बोलेगा तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 85/12 अन्तर्गत धारा 294, 323, 506बी की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323, 506, 325 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 325, 506 (भाग-दो) का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है, फरियादी ने रजिश वंश उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट कर उसे झूठा फंसाया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी ने दिनांक-16.07.2012 को सुबह 07:00 बजे ग्राम पीपरटोला में खेत की मेढ़ थाना बिरसा अन्तर्गत लोकस्थान पर फरियादी लिखीराम राहंगडाले को क्षोभ कारित करने के आशय से माँ-बहन की अश्लील गाली उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया ?

(ब) क्या आरोपी इसी दिनांक समय व स्थान पर फरियादी लिखीराम को टंगिया की मुधई से मारकर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?

(स) क्या आरोपी ने इसी दिनांक समय व स्थान पर फरियादी लिखीराम को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास

कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ', 'ब' एवं 'स' :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ', 'ब', एवं 'स' का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी/फरियादी लिखीराम (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी बारिश के समय सुबह 08:00 बजे की है। वह बैल लेकर उसके खेत में जा रहा था आरोपी आया और उसने कुल्हाड़ी के पिछले भाग से उसके बांये हाथ पर मारा जिससे उसका हाथ टूट गया था आरोपी मारकर भाग गया। घटना की रिपोर्ट उसने थाना बिरसा में की थी जो प्रदर्श पी-01 है और बिरसा अस्पताल में उपचार करवाया था। घटना के संबंध में पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

(08) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी/कायमीकर्ता लखन भिमटे (अ.सा. 9) का कहना है कि उसने दिनांक-16.07.2012 को फरियादी लिखीराम की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 लेखबद्ध किया था एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता अशोक राणा (अ.सा. 3) का कहना है कि उसे दिनांक-16.07.2012 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये अपराध क्रमांक 58/2012 अन्तर्गत धारा 294, 323, 506बी भा.दं.वि. की प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-01 विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने घटनास्थल पर जाकर नजरी नक्शा प्रदर्श पवी-02 तैयार किया था। फरियादी लिखीराम एवं साक्षी बलीराम, चंडीप्रसाद के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक-17.07.2012 को आरोपी मंजुलाल से जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 के अनुसार साक्षियों के समक्ष एक कुल्हाड़ी बांस का बेसा लगी हुई जप्त की थी। आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र प्रस्तुत करने हेतु थाना प्रभारी को दिया था।

(09) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी डॉक्टर डी.के. राउत (अ.सा. 8) का कहना है कि दिनांक-16.07.2012 को एक्सरे टेक्नेशियन ए.के.सैन ने आहत लिखीराम पिता बालाराम निवासी पीपरटोला थाना बिरसा की बांयी कलाई एवं हाथ का एक्सरे किया था। जिसका एक्सरे प्लेट क्रमांक 2914 था। उसे डॉक्टर फुलके ने एक्सरे हेतु रिफ्र किया था। उपरोक्त एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने उसके बांये हाथ की अलना हड्डी के नीचले एक तिहाई भाग पर अस्थिभंग होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-06 है एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी डॉक्टर एम.मेश्राम (अ.सा. 6) का कहना है कि उसने दिनांक-16.07.2012 को आहत लिखीराम पिता बालाराम को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाने पर उसने आहत के चिकित्सीय परीक्षण में निम्न चोटें पायी :- चोट क्रमांक-1 आहत के बांयी हाथ की कलाई के उपर एक सूजन थी जिसका आकार साढ़े तीन इंच गुणा चार इंच की थी। चोट क्रमांक-2 आहत के बांये बकखे के नीचले भाग से लेकर दाहिने बकखे के नीचले भाग तक सूजन जो रेल की पटरी के जैसी समान्तर थी। अभिमत में उसने बताया कि चोट क्रमांक 1 किसी कड़े एवं बोथरे वस्तु द्वारा जबकि चोट क्रमांक 2 किसी कड़े एवं पतले व लम्बी वस्तु (लाठी, डण्डा या रॉट) के प्रभाव से आना प्रतीत हो रही थी। दोनों चोट गम्भीर प्रकृति की थी। चोट क्रमांक 1 बांयी अलना हड्डी के नीचले 1/4 भाग पर तथा पीठ पर बांयी छठवीं पसली के टूटने की सम्भावना को देखते हुये उक्त स्थानों का एक्सरे उपचार तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ के अभिमत हेतु जिला चिकित्सालय बालाघाट रिफर किया था। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-05 है।

(10) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी चंडीप्रसाद (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी बरसात के समय सुबह 07:00 बजे की है। वह बैल लेकर उसके खेत जा रहा था। मंजुलाल ने उसके खेत के पास से जा रहे लिखीराम को कुल्हाड़ी के पीछे वाले भाग (मुधई) से बांये हाथ पर मारा था। पुलिस ने घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 उसके सामने बनाया था। पुलिस ने घटना के संबंध में उसके बयान लिये थे एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी

बलीराम बोपचे (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग एक वर्ष पुरानी सुबह 6-07:00 बजे की है। वह उसके खेत पर जा रहा था आरोपी ने लिखीराम को कुल्हाड़ी की मुधई से मारा, जिससे लिखीराम को हाथ में चोट आयी। आरोपी भाग गया।

(11) अभियोजन साक्षी मंगल निसाद (अ.सा. 7) का कहना है कि आरोपी मंजुलाल थाना बिरसा में था और वह मंजुलाल की जमानत करवाने गया था तब पुलिस ने उसे कुल्हाड़ी दिखायी थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि आरोपी को पुलिस ने उसके सामने गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-04 एवं आरोपी से कुल्हाड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 बनाया था एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी हसंराम (अ.सा. 5) का कहना है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी से कोई जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

(12) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है। फरियादी ने जमीन की रंजिश को लेकर आरोपी के विरुद्ध पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण तैयार कराकर आरोपी को झूठा फंसाया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। साक्षी हसंराम (अ.सा. 5) एवं मंगल निसाद (अ.सा. 7) अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(13) आरोपी के बचाव में बचाव साक्षी ओखतराम (अ.सा. 2) एवं कोमलप्रसाद (ब.सा. 2) का कहना है कि घटना उनके कथन से लगभग दो ढाई वर्ष पुरानी आरोपी की मेढ़ की है। आरोपी को खेत दमोहटोला में है। प्रार्थी लिखीराम वगैरह ग्राम पीपरटोला में रहता है। दोनों ग्रमों की दूरी लगभग एक किलोमीटर की है। प्रार्थी एवं आरोपी का झगड़ा जमीन के विवाद को लेकर पूर्व से चलते आ रहा है। लिखीराम एवं

पांच-छ: व्यक्ति मिलकर आरोपी मंजुलाल को अकेला एवं वृद्ध देखकर झगड़ा करते हैं।

पांच छ: व्यक्तियों में ढालसिंह, तीरथप्रसाद, भगवती, सूरजलाल, नानूप्रसाद एवं भरतलाल हैं। मंजुलाल के साथ वह रिपोर्ट करने गये थे। किन्तु थाने में रिपोर्ट लिखने से यह कहकर मना कर दिया कि उनका आय दिन जमीन को लेकर झगड़ा होता है वह कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे। घटना दिनांक को मंजुलाल एवं लिखीराम के बीच मारपीट नहीं हुई थी मात्र मौखिक आपसी विवाद हुआ था। घटना की आवाज सुनकर आये और घटनास्थल पर गये थे। मंजुलाल ने लिखीराम के साथ टंगिया से मारपीट नहीं की थी।

(14) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(15) अभियोजन साक्षी/फरियादी लिखीराम (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी बारिश के समय सुबह 08:00 बजे की है। वह बैल लेकर उसके खेत में जा रहा था आरोपी आया और उसने कुल्हाड़ी के पिछले भाग से उसके बांये हाथ पर मारा जिससे उसका हाथ टूट गया था आरोपी मारकर भाग गया। घटना की रिपोर्ट उसने थाना बिरसा में की थी जो प्रदर्श पी-01 है और उसका उपचार बिरसा अस्पताल में कराया था। घटना के संबंध में पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(16) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी/कायमीकर्ता लखन भिमटे (अ.सा. 9) का कहना है कि उसने दिनांक-16.07.2012 को फरियादी लिखीराम की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 लेखबद्ध किया था एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता अशोक राणा (अ.सा. 3) का कहना है कि उसे दिनांक-16.07.2012 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये अपराध क्रमांक 58/2012 अन्तर्गत धारा 294, 323, 506बी भा.दं.वि. की प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-01 विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पवी-02 तैयार किया था। फरियादी लिखीराम एवं साक्षी बलीराम, चंडीप्रसाद के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक

17.07.2012 को आरोपी मंजुलाल से जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 के अनुसार साक्षियों के समक्ष एक कुल्हाड़ी बांस का बेसा लगी हुई जप्त की थी। आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र प्रस्तुत करने हेतु थाना प्रभारी को दिया था। साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है जिससे साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(17) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी डॉक्टर डी.के. राउत (अ.सा. 8) का कहना है कि दिनांक 16.07.2012 को एक्सरे टेक्नेशियन ए.के.सैन ने आहत लिखीराम पिता बालाराम निवासी पीपरटोला थाना बिरसा की बांयी कलाई एवं हाथ का एक्सरे किया था। जिसका एक्सरे प्लेट क्रमांक 2914 था। उसे डॉक्टर फुलके ने एक्सरे हेतु रिफ्र किया था। उपरोक्त एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने उसके बांये हाथ की अलना हड्डी के नीचले एक तिहाई भाग पर अस्थिभंग होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-06 है। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी डॉक्टर एम.मेश्राम (अ.सा. 6) का कहना है कि उसने दिनांक-16.07.2012 को आहत लिखीरात पिता बालाराम को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाने पर उसने आहत के चिकित्सीय परीक्षण में निम्न चोट पायी :- चोट क्रमांक-1 आहत के बांयी हाथ की कलाई के उपर एक सूजन थी जिसका आकार साढ़े तीन इंच गुणा चार इंच की थी। चोट क्रमांक-2 आहत के बांये बक्खे के नीचले भाग से लेकर दाहिने बक्खे के नीचले भाग तक सूजन जो रेल की पटरी के जैसी समान्तर थी। अभिमत में उसने बताया कि चोट क्रमांक 1 किसी कड़े एवं बोथरे वस्तु द्वारा जबकि चोट क्रमांक 2 किसी कड़े एवं पतले व लम्बी वस्तु (लाठी, डण्डा या रॉट) के प्रभाव से आना प्रतीत हो रही थी। दोनों चोट गम्भीर प्रकृति की थी। चोट क्रमांक 1 बांयी अलना हड्डी के नीचले 1/4 भाग पर तथा पीठ पर बांयी छठवीं पसली के टूटने की सम्भावना को देखते हुये उक्त स्थानों का एक्सरे उपचार तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ के अभिमत हेतु

जिला चिकित्सालय बालाघाट रिफर किया था। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-05 है। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(18) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी चंडीप्रसाद (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी बरसात के समय सुबह 07:00 बजे की है। वह बैल लेकर उसके खेत जा रहा था। मंजुलाल ने उसके खेत के पास से जा रहे लिखीराम को कुल्हाड़ी के पीछे के भाग (मुधई) से बांये हाथ पर मारा था। पुलिस ने घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 उसके सामने बनाया था। पुलिस ने घटना के संबंध में उसके बयान लिये थे। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(19) अभियोजन साक्षी बलीराम बोपचे (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग एक वर्ष पुरानी सुबह 6-07:00 बजे की है। वह उसके खेत पर जा रहा था आरोपी ने लिखीराम को कुल्हाड़ी की मुधई से मारा, जिससे लिखीराम को हाथ में चोट आयी। आरोपी मारकर भाग गया। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(20) अभियोजन साक्षी मंगल निसाद (अ.सा. 7) का कहना है कि आरोपी मंजुलाल थाना बिरसा में था और वह मंजुलाल की जमानत करवाने गया था तब पुलिस ने उसे कुल्हाड़ी दिखायी थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि आरोपी को पुलिस ने उसके सामने गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-04 एवं आरोपी से कुल्हाड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 बनाया था।

(21) कायमीकर्ता लखन भिमटे (अ.सा. 9) एवं विवेचनाकर्ता अशोक राणा (अ.सा. 3) तथा फरियादी लिखीराम (अ.सा. 1) व साक्षी डॉक्टर एम.मेश्राम (अ.सा. 6), डॉक्टर डी.के.राउत (अ.सा. 8), चंडीप्रसाद (अ.सा. 2), बलीराम बोपचे (अ.सा. 4) के

कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत विवेचनाकर्ता अशोक राणा (अ.सा. 3) तथा फरियादी लिखीराम (अ.सा. 1) चंडीप्रसाद (अ.सा. 2), बलीराम बोपचे (अ.सा. 4) के कथनों से व साक्षी डॉक्टर एम.मेश्राम (अ.सा. 6), डॉक्टर डी.के.राउत (अ.सा. 8) के कथनों एवं मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट से आरोपी ने दिनांक-16.07.2012 को सुबह 07:00 बजे ग्राम पीपरटोला में खेत की मेढ़ थाना बिरसा अन्तर्गत लोकस्थान पर फरियादी लिखीराम को टंगिया की मुधई से मारकर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की इस बात की तो पुष्टि होती है। किन्तु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से आरोपी मंजुलाल ने फरियादी लिखीराम राहंगडाले को क्षोभ कारित करने के आशय से माँ-बहन की अश्लील गाली उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।

(22) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर अभियोजन का प्रकरण युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा कि आरोपी मंजुलाल ने दिनांक-16.07.2012 को सुबह 07:00 बजे ग्राम पीपरटोला में खेत की मेढ़ थाना बिरसा अन्तर्गत लोकस्थान पर फरियादी लिखीराम को टंगिया की मुधई से मारकर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। किन्तु अभियोजन यह युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी मंजुलाल ने फरियादी लिखीराम राहंगडाले को क्षोभ कारित करने के आशय से माँ-बहन की अश्लील गाली उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

(23) परिणाम स्वरूप आरोपी मंजुलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 506(भाग-2) के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुये दोषमुक्त किया जाता है एवं आरोपी मंजुलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुये दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(24) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया

गया।

(25) दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(डी.एस.मण्डलोई)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (M0प्र0)

पुनश्च :-

(26) दण्ड के प्रश्न पर आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता को सुना गया।

(27) आरोपी के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। आरोपी की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी मजदूर पेशा एवं वृद्ध व्यक्ति है। अतः उसे कम से कम अर्धदण्ड एवं सजा से दण्डित किया जावे।

(28) आरोपी के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया।

(29) प्रकरण का अवलोकन किया गया।

(30) आरोपी की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी मजदूर पेशा एवं वृद्ध व्यक्ति होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आरोपी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को कम से कम अर्धदण्ड एवं सजा से दण्डित करना उचित नहीं पाता हूँ। आरोपी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी मंजुलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 के आरोप में एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं 500/- (पांच सौ रुपये) के अर्धदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्धदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी को एक माह का साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(31) प्रकरण में जप्तशुदा एक कुल्हाड़ी बांस का बेसा लगी हुई मूल्यहीन होने से विधिवत् अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय

न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

(32) निर्णय की एक प्रति आरोपी को निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)